केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/126 दिनांक: 15.05.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00117
CICOM/R/2018/00287

अपीलकर्ता : श्री राम औतार,
फूल बाग, होली चौक,
किला छावनी (रामपुर रोड),
बरेली, उत्तर प्रदेश – 243003.

निर्णय की तारीख: 15.05.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	07.03.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	26.03.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	01.05.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	204/08.05.2018 (128565/07.05.2018)

1. अपीलकर्ता ने डाक विभाग द्वारा सही सूचना नहीं दिए जाने का उल्लेख करते हुए दिनांक 07.03.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में एक आर.टी.आई. आवेदन दाखिल किया जिसके माध्यम से डाक विभाग से ही संबंधित दो बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की सूचना में बताया गया की "आपके द्वारा मांगी गई सूचना का धारक केन्द्रीय सूचना आयोग नहीं है, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत विभागों/कार्यालयों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है", साथ ही श्री ए. के. शर्मा द्वारा प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दाखिल करने हेतु अपील प्रक्रिया का विस्तृत विवरण भी दिया गया है । अपीलकर्ता ने पुन: सूचनाएं प्रदान करने का अनुरोध करते हुए प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 07.03.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 26.03.2018 को पत्र सं. CICOM/R/2018/00287 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुरूप है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने श्री ए. के. शर्मा द्वारा बताई गई अपील प्रक्रिया का ठीक से अवलोकन नहीं किया है । अपीलकर्ता को पुन: सुझाव दिया जाता है श्री ए. के. शर्मा द्वारा बताई गई अपील प्रक्रिया का ठीक से अवलोकन करें एवं तद्नुसार सूचना प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
16 MAY 2018
D. No.
Initials

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

16/05/18